प्रेस नोट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 21.03.2023

लूट की योजना बनाते हुए 04 असलहा तस्कर मय अवैध पिस्टल, तमंचा व कारतुस के साथ गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा जनपद में होने वाले अपराधो पर रोकथाम/अंकुश लगाये जाने तथा सम्बन्धित अभियुक्तो के विरूद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी गोरखपुर के पर्यवेक्षण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के कुशल मार्गदर्शन व नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा की टीम को वास्ते क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाओं पर रोकथाम लगाने व प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु लगाया गया था जिसके क्रम मे पूर्व मे शिवशक्ति गैस एजेन्सी के मैनेजर के साथ दिनांक 13.02.2023 को हुई लूट की घटना के अनावरण के समय यह बात प्रकाश मे आयी थी कि जिस पिस्टल प्रयोग लूट की घटना में किया गया था उसे प्रताप साहनी द्वारा अभियुक्त अनिरुद्ध को बेचा गया था तत्पश्चात गिरफ्तार अभियुक्तों को विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय रवाना किया गया था और अभियुक्त प्रताप साहनी की लगातार तलाश चल रही थी जिसके क्रम में अभियुक्त प्रताप साहनी सहित अन्य तीन अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान 01 अवैध पिस्टल, 03 अदद तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

<u>पूछताछ का विवरण-</u> पकड़े गये अभियुक्त तेज प्रताप साहनी द्वारा बताया गया कि अपने सह-अभियुक्त रविन्द्र निषाद, कमलेश चौहान के साथ मिलकर अभियुक्त वीरू सिंह उर्फ हर्ष सिंह पुत्र जयचन्द सिंह निवासी शेखपुरवा थाना चिलुआताल गोरखपुर से सम्पर्क कर अवैध असलहों को प्राप्त कर लोगो को बेचा जाता है। जिसके क्रम मे 01 पिस्टल कारतूस दीपक यादव पुत्र केदारनाथ यादव निवासी रघुनाथपुर टोला मिर्चाइन थाना गुलरिहा गोरखपुर को व 01 पिस्टल अनिरुद्ध पुत्र राधे निवासी थाना ठाकुरपुर नं 2 टोला बोहा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर को विक्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुई। दीपक के पास से गिरफ्तारी के समय उक्त पिस्टल 32 बोर व 5 अदद कारतुस बरामद हुई है तथा अभियुक्त अनिरुद्ध द्वारा क्रय की गयी पिस्टल से पूर्व मे घटित की गयी लूट की घटना शिव शक्ति गैस एजेन्सी के अनावरण के समय बरामद हुई थी तथा अभियुक्त वीरू चिलुआताल क्षेत्र मे हुई घटना मु0अ0स0 24/23 धारा 395,397,412 भादवि थाना चिलुआताल गोरखपुर मे दिनांक 24.01.2023 से जिला कारागार गोरखपुर मे निरुद्ध है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम, पता, पंजीकृत अभियोग व बरामदगी का विवरण-</u>

1. **तेज प्रताप साहनी पुत्र उदयचन्द साहनी निवासी भेलिनपुर महराजगंज थाना गुलरिहा जनपद गोरखुपर**
   बरामदगी- 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतुस व 01 अदद जिन्दा कारतुस 315 बोर
   I. मु0अ0सं0 215/23 धारा 116,307 भादवि0 थाना गुलरिहा गोरखपुर
   II. मु0अ0सं0 216/23 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना गुलरिहा गोरखपुर

2. **रविन्द्र निषाद पुत्र बब्बन निषाद निवासी महराजगंज टोला सेवई थाना गुलरिहा गोरखपुर**
   बरामदगी- 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतुस व 01 अदद जिन्दा कारतुस 315 बोर
   I. मु0अ0सं0 215/23 धारा 116,307 भादवि0 थाना गुलरिहा गोरखपुर
   II. मु0अ0सं0 217/23 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना गुलरिहा गोरखपुर

3. **कमलेश चौहान पुत्र झीनक चौहान निवासी सियारामपुर टोला टेनदार थाना गुलरिहा गोरखपुर**
   बरामदगी- 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतुस
   I. मु0अ0सं0 215/23 धारा 116,307 भादवि0 थाना गुलरिहा गोरखपुर
   II. मु0अ0सं0 219/23 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना गुलरिहा गोरखपुर

4. दीपक यादव पुत्र केदारनाथ यादव निवासी रघुनाथपुर टोला मिर्चाइन थाना गुलरिहा गोरखपुर

बरामदगी- 01 अदद पिस्टल 32 बोर, 4 अदद जिंदा कारतुस व 01 अदद खोखा कारतुस

I. मु0अ0सं0 215/23 धारा 116,307 भादवि0 थाना गुलरिहा गोरखपुर

II. मु0अ0सं0 218/23 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना गुलरिहा गोरखपुर

कुल बरामदगी-

1. 03 अदद तमंचा 315 बोर, 03 अदद खोखा कारतुस 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतुस 315 बोर
2. 01 अदद पिस्टल 32 बोर, 4 अदद जिंदा कारतुस 32 बोर व 01 अदद खोखा कारतुस 32 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम-

1. निरीक्षक संजय कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा गोरखपुर
2. निरीक्षक मनोज कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक
3. व0उ0नि0 शेष कुमार शर्मा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
4. उ0नि0 अश्वनी कुमार चौबे थाना गुलरिहा गोरखपुर
5. म0उ0नि0 हिमांशी पाण्डेय थाना गुलरिहा गोरखपुर
6. हे0का0 हरिन्द्र सिंह थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
7. का0 शिवओम शुक्ला थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
8. का0 दयाशंकर पटेल थाना गुलरिहा गोरखपुर